न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00336 **दायरा दिनांक : 14.11.2018**

उनवान

1– अब्दुल वहीद पुत्र नजर मोहम्मद, जाति मुसलमान
2– शमीम पुत्री नजर मोहम्मद, जाति मुसलमान
3– नगीना पुत्री नजर मोहम्मद, जाति मुसलमान
4– हमीदा बानो पत्नी बरकत अली, जाति मुसलमान
5– मुश्ताक पुत्र बुन्दा, जाति मुसलमान
अकवाम निवासीगण ग्राम छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– हिम्मत सिंह पुत्र कन्हैयालाल सिंघवी, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बांरा
2– शेख मोला बक्श पुत्र खुदा बक्श, जाति मसुलमान, निवासी टोंक, जिला टोंक
3– सद्दाम पुत्र बुन्दा, जाति मुसलमान,
4– शहीद पुत्र बुन्दा, जाति मुसलमान
5– बुलबुल पुत्र बुन्दा, जाति मुसलमान
6– सजिया पुत्री बरकत अली, जाति मुसलमान
7– शरीफन पुत्री बरकत अली, जाति मुसलमान
8– छोटी बाई पुत्री बरकत अली, जाति मुसलमान
अकवाम निवासीगण ग्राम छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां
9– समीना पुत्री रसूल, जाति मुसलमान
10– कनीजा पुत्री रसूल, जाति मुसलमान
11– खातून उर्फ शहजादी पुत्री रसूल (मृतक) कायम मुकामान–
(1) खुरशीद पुत्री खातून, जाति मुसलमान अकवाम निवासीगण ग्राम छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां
12– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 14.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 74/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि कस्बा छबडा, तहसील छबडा में भूमि खसरा नं. 81 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 82 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 83 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर ग्राम छबडा की आराजी खसरा नं. 81 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 82 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 83 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा पर वादी को खातेदार कृषक घोषित कर तहसीलदार छबडा को आदेशित किया कि उक्त सम्पूर्ण आराजी को वादी के खाते दर्ज राजस्व रेकार्ड किया जावे। तद्नुसार डिक्री परचा जारी किया जावे। यदि ऊपर कोर्ट

का स्थगन आदेश न हो तो अनुपालना सुनिश्चित करें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादीगण क्रम 2, 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलांट क्रम 1 से 5 एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 4 लगायत 12 प्रतिवादी क्रम 3 रसूल मोहम्मद के वारिसान हैं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 (वादी) हिम्मत सिंह ने जानकारी होते हुये भी प्रतिवादी क्रम 3 रसूल मोहम्मद जिसकी मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के पूर्व ही दिनांक 26.12.1992 को हो चुकी थी के कायम मुकामान वाद पत्र में नहीं बनाये। ऐसी स्थिति में मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करना एवं डिक्री पारित करना कानूनन अवैधानिक है। डिक्री नल एवं वाईड है। वाद पत्र में वर्णित 5 प्रतिवादी क्रम 3 रसूल मोहम्मद वादी की मृत्यु दिनांक 26.12.1992 को हो चुकी है जिसके कायम मुकाम शजरे मुताबिक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 12 हैं। रसूल मोहम्मद के कायम मुकाम को दीवानी दावे में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने कायम मुकाम बनाया परन्तु फर्जी राजीनामे के आधार पर डिक्री प्राप्त कर ली एवं अधीनस्थ न्यायालय में भी रसूल मोहम्मद की मृत्यु के तथ्य छिपाकर एक तरफा निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत दावे के कथन के मुताबिक वादपत्र में वर्णित आराजी के बारे में सिविल कोर्ट सिविल न्यायाधीश (व.ख.) छबडा के द्वारा दिनांक 10.10.2002 को डिक्री जारी की तो इस निर्णय की अनुपालना के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा को कोई अधिकार शेष नहीं रहते, डिक्री की अनुपालना का दायित्व सिविल कोर्ट का था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है। सिविल कोर्ट के निर्णय के बाद पुनः राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना रेसजुडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। कानूनन निर्णय एवं डिक्री के निष्पादन की सिविल प्रक्रिया संहिता एवं मियाद अधिनियम के तहत मियाद 12 वर्ष है जो कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को न्यायालय के निर्णय के मुताबिक पालना न होने के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में ही आपत्ति पेश करने का अधिकार बाबत सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है इस मामले में किसी भी तरह का आदेश देना अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होने से भी निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है। सिविल न्यायालय का निर्णय राजीनामा दिनांक 11.07.2002 के आधार पर है जबकि राजीनामा पर कानूनन सम्पूर्ण प्रतिवादी (पक्षकारान) के हस्ताक्षर आवश्यक हैं अपीलान्ट क्रम 5 के पिता बुन्दा के फर्जी हस्ताक्षर हैं, सम्पूर्ण पक्षकारान के राजीनामे पर हस्ताक्षर बिना राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित नहीं की जा सकती इसलिए अपीलांट सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.10.2002 के विरूद्ध भी जानकारी के दिनांक से पृथक अपील सक्षम न्यायालय में पेश कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय को एग्रीमेन्ट टू सेल के आधार पर वाद की सुनवाई का अधिकार नहीं है एवं सिविल कोर्ट के निर्णय की पालना कराने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अपीलांट के पूर्वज रसूल मोहम्मद ने रेस्पोडेंट क्रम 1 के हक को विवादित आराजी का कभी कोई इकरारनामा नहीं लिखा। स्वयं रसूल मोहम्मद ने दीवानी दावे के जवाब में इकरारनामा के तथ्यों से इंकार किया है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2017 निरस्त फरमायी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 06.10.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1047, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 125 व आर.आर.टी. 2023(2) पेज 1241 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट

द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट दिनांक 27.10.2015 में प्रतिवादी नं. 3 रिपोर्ट तामील कुनिन्दा अनुसार फौत होना वर्णित किया है। दिनांक 16.11.2015 में प्रतिवादी नं. 3 के कायम मुकामान हेतु लिखा गया। दिनांक 11.01.2016 से पत्रावली पुनः प्रतिवादी नं. 3 की तलबी में रख दी गयी, जो अत्यन्त विरोधाभासी है। निर्णय में लिखा गया है कि प्रतिवादी नं. 3 रसुल मोहम्मद फोत हो चुका है तथा उसका अब कोई वाली–वासर नहीं है।

सिविल न्यायालय का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड पर था तथा निर्णय में भी उसका उल्लेख है। सिविल न्यायालय के निर्णय में लिखा गया है कि प्रतिवादी की मृत्यु होने पर दिनांक 17.07.2002 को संशोधित टाईटल पेश हुआ। उक्त संशोधित टाईटल में रसूल मोहम्मद के वारिसान रिकॉर्ड पर लिये गये। अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि रसूल मोहम्मद के कोई वाली–वासर नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली में नहीं है।

रेस्पोडेंट नं. 1 वादी द्वारा सिविल न्यायालय में पेश प्रकरण में निर्णय 2002 में हो चुका है जिसमें रसूल मोहम्मद के कायम मुकाम बनाए गए। रेस्पोडेंट नम्बर 1 के द्वारा दिनांक 23.07.2015 में मृत व्यक्ति के खिलाफ घोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों को नजर अन्दाज कर मृत व्यक्ति (जो .2002 में सिविल न्यायालय के फैसले में प्रमाणित है) के विरूद्ध निर्णय दिया गया ।

अतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज किया जाता है तथा प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को गुणावगुण पर सुनकर साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.07.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/5/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा